पत्र संख्याः 74 /xxvii(54)/2017

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
सहकारिता,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ

देहरादूनः दिनांकः 30 मई, 2017

विषयः सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैकों/शीर्ष सहकारी संस्थाओं/सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा हेतु आडिट फर्म/चार्टर्ड एकाउन्टेंट के सूचीबद्धीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, संविधान के सत्तानवेवां संशोधन अधिनियम के क्रम में राज्य सहकारी बैंक, शीर्ष सहकारी समितियों, सहकारी समितियों एवं सहकारी बैको की लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2016–17 के लिए वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्याः 86/xxvii(54)/2016 दिनांकः 08 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्याः 155/xxvii(54)/2016 दिनांकः 04 अक्टूबर, 2016 के द्वारा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैकों/शीर्ष सहकारी संस्थाओं/सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा हेतु 21 सी0ए0 फर्म को वर्ष 2016–17 के लिये सूचीबद्ध किया गया था।

2. सीए फर्मो द्वारा विगत वर्ष में की गयी लेखा परीक्षा का सहकारिता विभाग द्वारा मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन उपरांत सहकारिता विभाग द्वारा पत्र संख्याः 932–34/आडिट–2017–18 दिनांकः 09 मई, 2017 के द्वारा सीए फर्मो के सबंध में निम्नवत् संस्तुति की गयी "समस्त जिला सहायक निबन्धकों, सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0/शीर्ष सहकारी संस्थाओं/सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट के सूचीबद्धीकरण के सम्बन्ध में पत्र संख्याः 775–79 दिनांकः 25 अप्रैल, 2017 के द्वारा सी0ए0 फर्मों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की है जिसमें विशेष रूप से कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है"। अतः सहकारिता विभाग के लिए वर्ष 2016–17 में सूचीबद्ध सी0ए0 फर्मो को ई0ओ0आई के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2017–18 हेतु विस्तारित किये जाने के लिए वित्त विभाग की संस्तुति की गयी है।

3. सहकारिता विभाग की संस्तुति के क्रम में विगत वर्ष में सूचीबद्व निम्नलिखित फर्मों को EOI (संलग्नक–1) के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष (2017–18) के लिये सूचीबद्धीकरण का विस्तारीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है–:

Sr. No.	Name of CA Firm
1.	Anshul Agarwal & Co.
2.	Praveen K. Gupta & Co.
3.	Multi Associates
4.	K.k Channai & Associates
5.	K.K Goyal Associates
6.	Roy Gosh & co.
7.	PS Sethi & Co.
8.	Pramod K. Sharma & Co.
9.	KRA & Co.
10.	KASG Associates
11.	Bran & Associates
12.	Burnman Singh & Associates
13	Goyal Parul &Co.
14	Naveen Upadhyaya &Associates
15	Parmod Banwarilal Agarwal &Co.
16	Singh Agarwal & Associates
17	Chandiwala Virmani & Associates
18	PK Singhal &Co.
19	ASHM & Associates
20	Parry &Co.
21	Kapoor Bushan & Co.

4. यह भी अवलोकनीय है कि सहकारिता विभाग द्वारा सी0ए0 फर्मों द्वारा की गयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट वित्त विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, जिनमें निम्नवत् कमियां दृष्टिगत हुई है, जिस संबध में सहकारिता विभाग को पत्र संख्या 17/XXVii(54) 2017 दिनांक 18 अप्रैल 2017 द्वारा पूर्व में भी अवगत कराया गया था। लेखा परीक्षा रिर्पोट में इंगित निम्नलिखित कमियां वर्तमान वर्ष की लेखा परीक्षा रिर्पोटो में किसी भी प्रकार से इंगित न हो, इस हेतु सीए फर्मो द्वारा लेखा परीक्षा के समय विशेष सावधानी रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

क. सी0ए0 फर्मों द्वारा Guidance Note on Audit of State Co-operative Bank and District Central Co-operative Banks by Institute of Chartered Accountant of India के दिये गये निर्देशानुसार लेखा परीक्षा सम्पादित नहीं की गयी है।

ख. Guidance Note on Audit of State Co-operative Bank and District Central Co-operative Banks by Institute of Chartered Accountant of India के भाग– 23 के अनुसार लेखा परीक्षा में आपत्तियों का सारांश निम्नलिखित रूप से उल्लिखित किया जाना था, जो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है।

1. वित्तीय अनियमितताओं (Financial irregularties)
2. लेखा सम्बन्धी अनियमिततायें(Accountng irregularities)
3- प्रशासनिक अनियमिततायें।(Administrative irregularities

ग. इसके अतिरिक्त Guidance Note on Audit of State Co-operative Bank and District Central Co-operative Banks by Institute of Chartered Accountant of Indi के भाग 24 के अनुसार निम्नलिखित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निम्नवत् विशेषताओं को उल्लेखित किये जाने के निर्देश है। उक्त में निम्नलिखित कमियां पायी गयी है:–

- i- Adequate and proper Coverage of all important aspects/ observation in an in depth manner
- ii- Appropriate classification of defects and arrangement in order of importance
- iii- Proper heading and sub headings to be given to paragraph
- iv- Presentation of defects to be made in such a manner to indicate magnitude

घ. इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन नाबार्ड द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा प्रारूप में नहीं है। नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप पत्रावली में प्रस्तुत है।

5. सी०ए० फर्मों को वित्त विभाग द्वारा एक वर्ष के लिये निम्नलिखित शर्तो के अनुसार विस्तारीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। सहकारिता विभाग एवं सीए फर्मो के द्वारा अपने स्तर से ईओआई की शर्तें एवं निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा–:

क. EOI के बिन्दु संख्याः 9 के अनुसार सी०ए० फर्मों को Category wise ही जिलों का आवंटन सहकारिता विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक जिले में दो–तीन सी०ए० फर्मों का पैनल का गठन किया जायेगा। जिस प्रकार से पूर्व वर्ष में वित्त विभाग द्वारा किया गया था। (EOI संलग्नक–1)

ख. सूचीबद्ध सी०ए० फर्मों की दो–तीन दिवसीय कार्यशाला, जिसमें इन सी०ए० फर्मों को राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर वित्त, सहकारिता विभाग, नाबार्ड, आडिट निदेशालय के अधिकारियों से मार्गदर्शन के उपरांत लेखे आवंटित किये जायेंगे।

ग. सी0ए0 फर्मों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता के आंकलन हेतु सहकारिता विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी बनायी जायेगी। कमेटी द्वारा सीए फर्मों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत होने के उपरांत एक माह में आंकलन करते हुये बिलों का भुगतान किये जाने की संस्तुति सुनिश्चित करेंगे।

घ. सहकारिता विभाग द्वारा निदेशालय स्तर पर प्रत्येक त्रैमास पर सी0ए0 फर्मों के साथ समीक्षा बैठक की जायेगी, जिससे फर्मों पर प्रभावी नियंत्रण रहे। बैठक का कार्यवृत वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जायेगा।

ड़. सी0ए0 फर्मों द्वारा सूचीबद्धीकरण के विस्तारीकरण एवं ई0ओ0आई0 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी भी सी0ए0 फर्म द्वारा शासनादेश एवं ई0ओ0आई के प्रावधानों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है, तो तत्काल उस सी0ए0 फर्म को सूचीबद्धीकरण की सूची से हटाते हुए उन्हें वित्त विभाग के अन्तर्गत समस्त लेखा परीक्षा कार्यों हेतु **black list** कर दिया जायेगा। शासनादेश के प्रावधानों के अनुपालन में किसी भी प्रकार का अपवाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

च. सहकारिता विभाग द्वारा सी0ए0 फर्मों के प्रभावी नियंत्रण हेतु एवं जिलों में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय हेतु सहकारिता विभाग द्वारा स्वयं से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

छ. सी0ए0 फर्मों द्वारा राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों की लेखापरीक्षा हेतु Guidance Note on Audit of State Co-operative Bank and District Central Co-operative Banks by Institute of Chartered Accountant of India (**संलग्नक–2**) विभिन्न Declaration, लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ LFAR (Long Form of Audit Report) ,एवं Audit Classification of SCB's and DCCB's, एवं Audit Manual of PACS (**संलग्नक–3**) के अनुसार लेखा परीक्षा की जायेगी। लेखा परीक्षा रिपोर्ट आपत्तियों को स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा।

ज. सी0ए0 फर्मो द्वारा लेखा परीक्षा दल/टीम का **पूर्ण विवरण (फोटो सहित) मो0 न0 एवं ई– मेल आईडी** सहकारिता विभाग, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग, निदेशालय लेखा परीक्षा, वित्त आडिट प्रकोष्ठ तथा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। सी0ए0 फर्मो द्वारा आ0एफ0पी0 के अनुसार लेखा परीक्षा दल में कम से कम एक एफ0सी0ए0/ए0सी0ए0 लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

झ. सहकारिता विभाग द्वारा प्रत्येक माह वित्त आडिट प्रकोष्ठ को **(संलग्नक–4)** के अनुसार सी0ए0 फर्मों द्वारा किये गये लेखा परीक्षा कार्यों के बारे में ई–मेल(ukauditcell@gmail.com) द्वारा अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। लेखा परीक्षा कार्ययोजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में पत्र तथा ई–मेल के द्वारा वित्त आडिट प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जायेगी।

प. सहकारिता विभाग एवं वित्त विभाग में इस संबंध में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक, शीर्ष सहकारी समितियों, सहकारी समितियों एवं सहकारी बैकों की लेखा परीक्षा के समन्वय हेतु सहकारिता विभाग से नोडल अधिकारी नामित किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त समस्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सी0ए0 फर्मो एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव, वित्त।

पत्र सं0–74 /xxvii(54)/2016 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, लेखा परीक्षा, आयुक्त कर भवन, रिंग रोड़, देहरादून।
2. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. निबन्धक, सहकारी समितियां, अल्मोडा।
4. निदेशक, मत्स्य, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकरी बैंक लि0, हल्द्वानी।
6. समस्त सचिव, जिला सहकरी बैंक, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकरी संघ, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कोपरेटिव रेशम लि0, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन, देहरादून।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन, देहरादून।
11. निबन्धक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग।
12. सम्बन्धित सी0ए0 फर्म।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।